24/5/19

पत्रावली सीगह से पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रहलाद कुमार शर्मा ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण पत्थरगढ़ी में हुक्मनामा जारी करने हेतु निवेदन किया गया। विपक्षीगण के सूचना पत्र बाद तामील प्राप्त हो चुके है। संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर. एक्ट के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा देलवाड़ा पटवार मण्डल देलवाड़ा की आराजी नम्बर 1114/4 रकबा 1.0800 है० भूमि प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। जिसका कोई स्थायी सीमा चिन्ह नहीं है।

PTO.

Scanned by CamScanner

तथा विपक्षीगण आराजी के पड़ौसी है। प्रार्थी एवं विपक्षी के मध्य आराजी सीमा को लेकर आये दिन विवाद होता है इसलिए उपरोक्त आराजी की पत्थरगढ़ी कराई जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई प्रार्थी गैर बहस आराजी का खातेदार है। उन्हें नपती कराने का अधिकार निहीत है। अत: तहसीलदार डूंगला को 2000/- दो हजार रुपये फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मुकदमा मय नक्शा पत्र पक्षकारान की उपस्थिति में बन्दोबस्ती नक्शा के अनुसार बिना किसी के कब्जे मे दखल दिये मौजा देलवास की आ.नं. 1115/4 रकबा 1.0800 है० भूमि की पत्थरगढ़ी मुकम्मल तौर पर की जावे। पत्थरगढ़ी पालना रिपोर्ट के इंतजार में दिनांक 28/6/17 तक न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। इसी आशय का हुक्मनामा आदेश जारी हो। पत्रावली इंतजार पालना प्रतिवेदन में दिनांक 28/6/17 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला

Scanned by CamScanner